रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082022-238126
CG-DL-E-17082022-238126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944
No. 558] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 632(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) और धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए आयकर नियम 1962 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर नियम (पच्चीसवां संशोधन), 2022 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में, नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"17. धारा 10 या 11 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के अधीन विकल्प का प्रयोग आदि.—(1) प्ररूप सं. 9क में 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष सुसंगत अन्य गत वर्ष से आय से संबंधित विकल्प का प्रयोग अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और सुसंगत निर्धारण वर्ष की आयकर की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय सीमा समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

(2) अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) या अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी या विहित प्राधिकारी को उक्त उपबंध के अधीन प्ररूप सं. 10 में अधिनियम की धारा 10 के खंड (21) के अधीन प्रयोज्यता अनुसार हो और अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय सीमा समाप्त होने से पूर्व आयकर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु विवरण प्रतुत करना होगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 9क में विकल्प और उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 10 में विवरण इलैक्ट्रानिक रूप से या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड से प्रस्तुत की जाएगी।

(4) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) करेंगे-

(i) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्ररूप भरने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेंगे;

(ii) उपनियम (3) में निर्दिष्ट डाटा संरचना, मानक और इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड बनाने की रीति, उक्त प्ररूप प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ व्यक्ति का सत्यापन; और

(iii) इस प्रकार से दिए गए प्ररुप के संबंध में सूत्रबद्ध करना और समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और नीतियों में सुधार को विरचित करने और उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।"।

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट में, प्ररूप 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:

"प्ररूप सं. 10

[नियम 17(2) देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी के सम्मुख विवरण की प्रस्तुति

सेवा में

निर्धारण अधिकारी/विहित प्राधिकारी

…………………………………………

…………………………………….......

मैं,………………………………… की ओर से[निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/ अन्य अस्पताल/अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम] जिसका स्थायी खाता संख्या …………………है, यह आपके संज्ञान में लाता हूं कि न्यासियों/शासी निकाय/ प्रबंधन चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह निर्णय लिया गया कि____________________(ता.मा.व) निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/ अन्य अस्पताल/ अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम की गत वर्ष सुसंगत निर्धारण वर्ष 20xx…….-202xxxx……, की आय राशि……. जो कि______________________निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/ अन्य

अस्पताल/ अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम का प्रतिशत है, उसे संचित अथवा पृथक करके निधि /संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/ अन्य अस्पताल/ अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम के प्रयोजनार्थ किया जाएगा प्रस्तावित संचयन या पृथकन की अवधि और प्रयोजन राशि का विवरण इस प्रकार है:—

क्रम सं.	**धारा जिसके अधीन विवरण प्रस्तुत किया जाना है**	**वह प्रयोजन जिसके लिए राशि का संचयन या पृथकन किया जाना है**	**संचयन की राशि (रु. में)**	**संचयन/पृथकन की अवधि**		
	टिप्पण निर्दिष्ट करें@			**गत वर्ष का आरंभ**	**गत वर्ष की समाप्ति**	**अवधि वर्षों में**
1						
2						
3						

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 की उपधारा(5) में विर्निदिष्ट किसी 1 या अधिक प्ररूप या मोड में विनिवेशित या जमा राशि का संचयन/पृथकन।

3. इसके अतिरिक्त यह भी आपके संज्ञान में लाया जाता है कि उक्त_____[निधि/संस्थान/न्यास/अन्य विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान/ अन्य अस्पताल/ अन्य चिकित्सीय संस्थान/संगम] निर्धारण वर्ष के संबंध में सुसंगत पिछले निर्धारण वर्ष आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन खाते की आवश्यकता अनुसार (संचयन या पृथकन के संबंध में दिया गया विवरण [जो लागू नहीं हो उसे काट दें] इस प्रकार है :-

संचयन वर्ष	प्ररूप 10 भरने की तारीख	संचित राशि	अवधि जिसके लिए संचयन/पृथकन किया गया है	गत वर्ष के अंत तक प्रयोज्य राशि	आवेदन के लिए शेष राशि	धारा 11 की उपधारा (3) और धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 के अर्थ में निहित राशि जिसे आय माना गया है

4. यह भी आपके संज्ञान में लाया गया है कि उपर्युक्त 3 में दर्शाई गई आय में से न्यायालय के आदेश/निषेधाज्ञा के कारण नीचे दर्शाई गई आय प्रयोज्य नहीं होगी उस प्रयोजनार्थ जिसके लिए ये संचित या पृथक की गई है।

क्रम सं.	आय राशि	गत वर्ष जिसमें संचित या पृथक की गई	अवधि जिसके दौरान न्यायालय के आदेश के कारण प्रयोज्य नहीं हो सकी।	न्यायालय के आदेश का विवरण

तारीख..... #हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

पता.....

टिप्पण:-

1. #यह विवरण न्यासी/मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

2. @धारा कोड के लिए कृपया निम्नलिखित कोड भरें:-

धारा	कोड
धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 का खंड (क)	1
धारा 11 की उपधारा का खंड (क)	2
धारा 11 की उपधारा (2) का खंड (क) धारा 10 के खंड(21) से साथ पठित	3।"।

[अधिसूचना सं. 96/2022/फा. सं. 370142/34/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, धारा-3, उप-धारा (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 622 (अ) तारीख 10 अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।